तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज किशोरसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 24 / 2018	नं0 जो ताम
21.03.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी किशोरसिंह पुत्र जालमसिंह गांव घोड़ावट पोस्ट खवासपुरा वाया पीपाड़सीटी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.11.17 में उसके द्वारा (1) आंशिक प्रतिलिपि पत्रांक / राजस्व / 85 / 3324–99 दिनांक 11.06.85 के द्वारा ग्राम घोड़ावट ग्रामि पंचायत खवासपुरा तहसील भोपालगढ के खसरा नं0 689 गैमु मगरा में 5 बीघा भूमि आवंटन आप द्वारा की गई है आपके आदेश की प्रति संलग्न है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	